(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बन्त सिंह आदि बनाम नाजम सिंह

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 05 सन् 2021

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.03.2021	प्रार्थीगण बन्त सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति तरखान निवासी अरायण हाल आबाद बालाजी नगरी, सदभावनानगर रोड, गली नम्बर 04, चक 3 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश बंसल के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 37 एफ की जमान्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 10/54 व 64/60 के सम्बन्ध मे यदि अप्रार्थी या अन्य किसी भी काश्तकार द्वारा कोई वाद, स्थगन प्रार्थना पत्र या अन्य कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे । S.D.O.	
२१/७/२१	आज यह पत्रावली पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC को 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इसमें कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (क) CPC इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो	